ख म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज श्यामलाल —— छोटूराम T.R. No. 10/25	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	24/9/25 वकील अपीलार्थी व वकील अप्रार्थी हाजिर हैं पत्रावली दिनांक 15/10/25 को पेश हो। 15/10/25 पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी/प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ ~~उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान पीठासीन~~ ~~अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं~~/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानान्तरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/11/25 को पेश हो। रीडर	
	26/11/25 वकील अपीलार्थी व वकील अप्रार्थी हाजिर हैं पत्रावली अपीलार्थी के पेश न होने व अप्रार्थी के अधिवक्ता के पेश होने हेतु पत्रावली दि० 10/12/25 को पेश हो। 10/12/25 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/1/26 को पेश हो। रीडर	
	16/1/26 वकील अपीलार्थी व वकील अप्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी के वकील ने अपने जवाब में बहुमात्र इस बिंदु पर उनका कोई विवाद नहीं होना बताया है। अन्य अपीलार्थी की ओर से ना तो कोई जवाब प्रस्तुत हुआ है और ना ही वे स्वयं न्यायालय के उपस्थित हुए हैं। पत्रावली उपखण्ड अधिकारी के अनुसार वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी सहखातेदार की है। अतः प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20/1/25 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को फैसला होने तक बनाये रखने व अपीलार्थी के अप्रार्थीगण को हलवाहे के निर्धारित तरीके अपनाई निषेधाज्ञा पालन किया जाता है कि वे भूमि खा० 328 रकबा 0.36 है०, 329 रकबा 1.02 है०, 332 रकबा 0.85 है०, 337 रकबा [illegible] खाते में दर्ज शिवदेया वगैरा के विवादित भूमि पर [illegible] करेंगे। [illegible] फैसला [illegible] होने तक [illegible] वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:38:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)